



गण्डगढ़ शासन  
धार्मिक व्यासा और धर्मस्व विभाग  
गुज्जमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 3ंतर्गत आवेदन-पत्र  
(नियमित विमान रोधा वै वायुयान रो तीर्थयात्रा)  
(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदक का फोटो  
पासपोर्ट साइज

पासि का दिनांक.....	सरल क्रमांक : .....	पंजीयन नं. : .....
---------------------	---------------------	--------------------

(केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ही आवेदन करें।)

1. आवेदक का पूरा नाम श्री/श्रीमती/सुश्री .....
2. लिंग : पुरुष/महिला .....
3. पिता/पति का पूरा नाम श्री .....
4. माता का पूरा नाम श्रीमती.....
5. आवेदक का उपनाम (यदि कोई हो) .....
6. आवेदक की पति/पति का नाम श्री/श्रीमती.....
7. आवेदक का धर्म- हिन्दू/मुस्लिम/सिख/इसाई/बौद्ध/जैन/ अन्य  
(केवल एक स्थान पर ✓ का निशान लगावें)
8. आवेदक का पूर्ण पता .....
- .....
9. आवेदक का दूरभाष नं. .....
10. आवेदक का मोबाइल नं. .....
11. जन्मतिथि ..... आयु ..... वर्ष.....  
(आयु के प्रमाण हेतु पैन/आधार/मार्केशीट/वोटर कार्ड/अन्य गान्य प्रमाण पत्र आदि गे रो एक का ऊयापति संलग्न करें)
12. क्या मध्यप्रदेश का मूल निवासी है: .....(हाँ/नहीं) प्रमाण पत्र क्रमांक.....  
(राशन कार्ड/ड्राइविं लाइसेंस/विधुत देयक/वोटर कार्ड/अन्य गान्य प्रमाण पत्र आदि गे रो एक की ऊयापति संलग्न करें)
13. पहचान पत्र (आधार कार्ड का नंबर) (ऊयापति संलग्न करना अनिवार्य है)
14. आपातकाल की स्थिति में सूचना हेतु नामित व्यक्ति का नाम..... संबंध.....  
पता.....  
संपर्क मोबाइल नंबर.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## आवेदक द्वारा घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पति .....आयु.....  
 निवासी.....  
 घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरे ज्ञान के आधार पर सत्य है।  
 एवं

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि-
  - (अ) मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नियमित विगान सेवा से यायुन द्वारा तीर्थ यात्रा संबंधी नियम व निर्देश मैंने पूर्णतः पढ़े/सुन कर समझ लिये हैं और मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी।
  - (ब) मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूँ।
  - (स) मेरी आयु 65 वर्ष से अधिक है।
  - (द) मैं आयकर दाता नहीं हूँ।
2. यात्रा के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना अथवा कठिनाई के लिये राज्य शासन अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा।
3. इस योजना के अंतर्गत मैंने पूर्व मैं यात्रा नहीं की हैं।
4. यात्रा हेतु चयन, किसी व्यक्ति को यात्रा पर ले जाने हेतु शासन पर वंधनकारी नहीं होगा।
5. यायुन मैं अथवा हवाई अड्डे पर खान-पान की व्यवस्था के लिये शासन जिम्मेदार नहीं होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

### चिकित्सीय प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
 पुत्र/पुत्री/पति.....निवासी.....  
 .....आयु..... वर्ष हवाई यात्रा करने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से  
 सक्षम हैं और किसी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं हैं।

शासकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर  
 एवं पद मुद्रा

### प्रावती

श्री/श्रीमती/सुश्री.....  
 पुत्र/पुत्री/पति.....निवासी..... का  
 आवेदन पत्र क्रमांक ..... दिनांक..... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता